रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 447] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 1989/श्रावण 4, 1911
No. 447] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 1989/SRAVANA 4, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1989

का.आ. 575 (अ) : —आल इंडिया हैंडलूम फब्रिक्स मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् आल इंडिया सोसाइटी कहा गया है) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 (1984 का 51) के (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम

कहा गया है) उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझी गई है और जो अधिनियम की दूसरी अनुसूची में एक राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी के रूप में विनिर्दिष्ट है ;

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (रजिस्ट्रीकरण, सदस्यता, निवेश और प्रबंध, विवादों का निपटारा, अपील और पुनरीक्षण) नियम, 1985 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियम कहा गया है) नियम 13 में यह उपबंध है कि किसी सहकारी वर्ष में किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की शेयर पूंजी का कुल प्रतिसंदाय ठीक पूर्ववर्ती सहकारी वर्ष के अंतिम दिन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की समादत्त शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

आल इंडिया सोसाइटी की उपविधि की उपविधि 9 में यह उपबंध है कि किसी भी सदस्य को, ऐसे शेयरों के निर्गमित किए जाने की तारीख से पांच वर्ष के भीतर उसके द्वारा धारित शेयरों को प्रत्याहृत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और इस अवधि के पश्चात् निदेशक बोर्ड प्रत्याहरण करने की अनुज्ञा दे सकेगा, परंतु यह तब जब कि किसी एक सहकारी वर्ष में प्रत्याहृत किए जाने के लिए अनुज्ञात रकम आल इंडिया सोसाइटी समाकलित शेयर पूंजी के, जैसी कि वह पूर्ववर्ती 30 जून, को थी दस प्रतिशत से अधिक नहीं होती है, और यह कि सदस्य, प्रत्याहरण करने के लिए कम से कम छह मास की सूचना देता है;

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 की धारा 19 की उपधारा (3) के अनुसार कोई व्यक्ति किसी राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित किए जाने का पात्र नहीं होगा और इस प्रकार आल इंडिया सोसाइटी के वर्ग "ग" सदस्यों को, जिनमें व्यक्ति भागीदारी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आदि हैं जो सदस्य नहीं रह गए हैं, शेयर पूंजी का प्रतिसंदाय करना होगा;

वर्ग "ग" सदस्यों को शेयर पूंजी का प्रतिसंदाय आल इंडिया सोसाइटी की कुल समादत्त शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक है और इस प्रकार वर्ग "ग" सदस्यों के समस्त शेयर धन का प्रतिसंदाय करने के लिए, आल इंडिया सोसाइटी ने नियमों के नियम 13 और उप विधियों की उपविधि 9 के उपबंधों से छूट मांगी है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 99 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आल इंडिया सोसाइटी को नियमों के नियम 13 के उपबंधों से छूट देती है, जिससे कि किसी सहकारी वर्ष में वर्ग "ग" सदस्यों को ऐसी शेयर पूंजी का जो नियमों के नियम 13 में अधिकथित परिसीमा से अधिक है, प्रतिसंदाय किया जा सके।

[सं. एल-11016/2/83-एल एण्ड एम]
जे. एन. एल. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1989

S.O. 575(E).—Whereas the All India Handloom Fabrics Marketing Co-operative Society Limited (hereinafter referred to as the All India Society) is deemed to be registered under the provisions of the Multi-State Co-operative Societies Act, 1984 (No. 51 of 1984) (hereinafter referred to as the Act) and is specified as a national co-operative society in the Second Schedule to the Act;

And whereas rule 13 of the Multi-State Co-operative Societies (Registration. Membership, Direction and Management, Settlement of Disputes, Appeals and Revision) Rules, 1985 (hereinafter referred to as the Rules) provides that the total refund of share capital of a multi-State co-operative society in any co-operative year shall not exceed 10 per cent of the paid-up share capital of the multi-State co-operative society on the last day of the co-operative year immediately preceeding ;

And whereas bye-law 9 of the bye-laws of the All India Society provides that no member shall be permitted to withdraw any of the shares held by him within five years from the date of issue of such shares and after this period, the board of directors may permit withdrawal provided that the amount permitted to be withdrawn in any one co-operative year does not exceed ten per cent of the aggregate paid-up share capital of the All India Society as it was on the 30th June preceding and provided that the member gives at least six months notice of withdrawal ;

And whereas according to sub-section (3) of section 19 of the Multi-State Co-operative Societies Act, 1984, no individual shall be eligible for admission as a member in a national co-operative society and, therefore, the share capital of 'C' class members consisting of individuals, partnership firms, private limited companies, etc. of the All India Society, who have ceased to be members, has to be refunded ;

And whereas the refund of the share capital of 'C' Class members is more than ten per cent of the total paid-up share capital of the All India Society, and, therefore, to enable refund of the entire share money of 'C' class members, the All India Society have sought exemption fro mthe provisions of rule 13 of the Rules and bye-law 9 of its bye-laws.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 99 of the Act the Central Government hereby exempts the All India Society from the provisions of rule 13 of the Rules, so as to enable refund of share capital of 'C' class members in a co-operative year in excess of the limit laid down in rule 13 of the Rules.

[No. L-11016|2|83-L&M]

J. N. L. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Dehli-110054, 1989